तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
17-10-19	पत्रावली पेश हुई। वक्त्वाय कोरम उप./अनुविभागीय पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 31-12-19 को पेश हो।	
31-12-19	वकील वादीया उपस्थित वास्ते प्राप्त होने विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर पत्रावली दिनांक 14-2-2020 को पेश हो। PO साहब अन्य कार्य मे व्यस्त है।	
14.2.20	पत्रावली पेश हुई। ... उप./अनुविभागीय ... अधिकारी दौरे/... में ... है। ... दिनांक 13-5-20 को पेश हो।	
17.09.2020	वैश्विक महामारी कोविड–19 सकंमण फ़ैलने से समस्त पत्रावलियों में इकजाई तारीख पेशियॉ दिये जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित। न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिकी की पालना में तहसीलदार(भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1077 / भू.अ. / 20 दिनांक 09.06.2020 के द्वारा प्राथमिक डिकी की पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में बहस वकील वादीया एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमत होने बाबत अवगत कराते हुए प्राप्त प्रारम्भिक डिकी की पालना रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में आज ही अन्तिम डिकी जारी किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीया की एक पक्षीय बहस व सहमति के आधार पर तहसीलदार (भू0अ0) श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन तथा बहस पर मनन के पश्चात् हम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.21 17:08:53 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज

कमला देवी .... बनाम .... मोहन वगै०

किस्म मुकदमा .... दावा .... नं. .... 315 .... सन् 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि पक्षकारान् के मध्य बाई मीट्स एंव बाउण्डस के विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादिया अन्तिम रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1077/भू.अ./2020 दिनांक 09.06.2020 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा को डिक्री का भाग बनाया जाता है तथा वादीया व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी भॉति प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) यह निर्णय आज दिनांक 17.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.21 17:08:53 IST
Reason: Self Attested